

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संख्या-2/सा0चि0पदा0-151/2024- / स्वा०, पटना, दिनांक / / 2025

डा० रंजन कुमार, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मानपुर, गया द्वारा चिकित्सा हेतु उपभोगित अवकाश अवधि दिनांक 04.06.2024 से 25.06.2024 तक कुल 22(बाईस) दिन को बिहार सेवा सहिता के नियम-230 एवं 248 तथा वित्त(वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-289(25), दिनांक 07.02.2025 से प्राप्त अवकाश आदेयता प्रतिवेदन के आलोक में उपार्जित अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-
(विद्यानन्द जमादार)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-2/सा0चि0पदा0-151/2024- 890/2 पटना, दिनांक 30/5 / 2025
प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं हक०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, गया/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मानपुर, गया/कोषागार पदाधिकारी, गया/ डा० रंजन कुमार, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मानपुर, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।